EX- 31/12/1972

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185ए] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 15, 1971/आश्विन 23, 1893

No. 185A] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1971/ASVINA 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

SS
28/1/72

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 15th October 1971

G.S.R. 1542-A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and of all other powers hereunto enabling the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. GSR 575 dated the 28th May, 1960.

[No. 93/F. No. 602/2/70-DBK.]

K. NARASIMHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1971

सा० का० नि० 1542ए.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 575 ता० 28 मई, 1960 को एतद्द्वारा विखंडित करती है ।

[सं० 93/फा० सं० 602/2/70-वापसी]

के० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971